कार्यालय–प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

–::निविदा आमंत्रण सूचना::–

क्र. 4194/चार–3–1/92 जबलपुर, दिनांक–29/12/2025

नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर के सर्वर रूम, सिविल न्यायालय पाटन एवं सिहोरा के सर्वर रूम में स्थित 2KVA यूपीएस की 12 वोल्ट 120 एएच क्षमता 18 नग एक्साइड कंपनी की (पुरानी बैटरी को बॉयबैक करते हुए) बैटरियों की ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/निर्माता अपनी निविदायें https://mptenders.gov.in के माध्यम से 500/–रु की फीस जमा कर दिनांक 22.01.2026 को दोपहर 2:00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदायें दिनांक 24.01.2026 को दोपहर 2:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्ते एवं सामग्री की संपूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की बेवसाईड www.mphc.gov.in, जिला न्यायालय जबलपुर की बेवसाईड https://jabalpur.dcourts.gov.in एवं https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

परिशिष्ट –ए

सामग्री

Quotations are invited for the Current Financial Year 2025-26, for supply and installation of new **(12V 120AH)** Batteries for replacement in the Online UPS **on buyback of total 18 batteries** of different make and capacity and mentioned in the below table.

S./No.	Make & Model	Quantity
1	12V 120AH Exide Company	18

परिशिष्ट–बी

तकनीकी विड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	ई.एम.डी. 10,000/–ऑनलाईन	
2	पेन नंबर	
3	आयकर विवरणी	
4	जीएसटी रजिस्ट्रेशन	
5	ऑनलाईन निविदा फीस 500/–रुपये जमा की रसीद	

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पताः–

<u>कार्यालय –प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)</u>

–::निविदा शर्तें::–

01. निविदा https://mptenders.gov.in के माध्यम से निविदायें प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर के नाम से दिनांक 22.01.2026 को दोपहर 2:00 बजे तक सिर्फ Online Mode में ही प्राप्त की जावेगी। उक्त निविदा दिनांक 24.01.2026 को दोपहर 2:00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला न्यायालय में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।

02. 12 वोल्ट 120 एएच क्षमता 18 नग एक्साइड कंपनी की पुरानी बैटरी को बॉयबैक करने हेतु कीमत का उल्लेख भी कोटेशन में पृथक् से दर्शाया जावें।

03. बैटरियों के निर्माण की अवधि पिछले 03 महीने की अवधि के भीतर होनी चाहिए।

04. फर्म को ओईएम (OEM) वेण्डर का सर्टीफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

05. क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर फर्म को नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर, सिविल न्यायालय पाटन एवं सिहोरा में 06–06 नग, इस प्रकार कुल 18 नग बैटरियों को पृथक्–पृथक् से भेजा जावें। जिसका इंस्टालेशन संबंधित फर्म के इंजीनियर के माध्यम से ही किया जावें, डिलेवरी एवं इंस्टालेशन का चार्ज फर्म को स्वयं वहन करना होगा, पृथक् से देय नहीं होगा।

06. उक्त बैटरियों को नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में इंस्टालेशन किए जाने के पश्चात् जूनियन सिस्टम एनालिस्ट, जबलपुर से एवं सिविल न्यायालयों में इंस्टालेशन किए जाने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट सर्वर रूम में पदस्थ सिस्टम असिस्टेंट एवं नाजरात अनुभाग में पदस्थ नायब नाजिर से हस्ताक्षरित करवाया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जावें।

07. फर्म को अपने कोटेशन में बैटरी के मेक/मॉडल, वारंटी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

08. फर्म को बैटरियों की 02 साल की ऑनलाईन वारंटी देनी होगी।

09. फर्म को अपने संबंधित इंजीनियर जिनके द्वारा सेवाएं प्रदान किया जाना है, उनका नाम एवं मोबाईल नंबर प्रदान करना होगा।

10. उक्त बैटरियों का इंस्टालेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस के अंदर कार्यालय अनुभाग से भुगतान की कार्यवाही किया जावेगा।

11. उक्त बैटरियों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित फर्म समस्या का तत्काल निराकरण करेंगे।

12. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. आदेशानुसार सामग्री न्यायालय तक पहुंचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

14. निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एव सील होना आवश्यक है।

15. निविदा से संबंधित शर्त एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की बेवासाईट www.mphc.gov.in जिला न्यायालय जबलपुर की बेवाईट https://jabalpur.dcourts.gov.in एवं https://mptenders.gov.in से डाउनलोड की जाकर राशि–500/–रु. ऑनलाईन फीस जमा कर दिनांक 22.01.2026 को दोपहर 2:00 बजे तक https://mptenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत की जा सकती है।

16. निविदाकार, वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है उस पर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें।

17. निविदाकारों के सुरक्षा निधि के रूप में 10,000/–रुपये की ईएमडी राशि ऑनलाईन जमा करनी होगी।

18. किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश जबलपुर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

19. शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।

20. संपूर्ण सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाये।

21. निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी। जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेगें, उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय विड खोली जायेगी।

22. निविदाओं द्वारा सामग्री की जो भी दरें दी जायेगी, वह अनुबंध अवधि तक यथावत रहेगी निविदाकारों द्वारा कियी भी वस्तु की दर बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

23. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु श्री आनंद यादव, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय जबलपुर के मोबाईल नंबर 9721280870 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पताः–